

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग
जिला धार (म.प्र.)

क्रमांक/१६१२ /भू-अर्जन/२०१९

धार दिनांक २६/११/१९

“ उद्घोषणा ”

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (१) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (२) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम २०१३ की धारा १९ के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:: अनुसूची ::


भूमि का वर्णन :-

(क) ग्राम :-	खेरोद
(ख) तहसील :-	धार
(ग) जिला :-	धार
(घ) लगभग क्षेत्रफल :-	०.०१० हेक्टर

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्टर में
४६६	०.०१०
योग	०.०१०

- सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- लबरावदा-गरडावद-बिलोदा-तीसगांव-खेरोद मार्ग के पुर्ननिर्माण/उन्नयन कार्य हेतु।
- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग, धार के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार


(श्रीकान्त बर्नाड)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
म.प्र. शासन राजस्व विभाग, जिला धार (म.प्र.)

Y

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग
जिला धार (म.प्र.)

क्रमांक/४६१५ /भू-अर्जन/२०१९

धार दिनांक २६/४/१९

“ उद्घोषणा ”

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (१) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (२) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम २०१३ की धारा १९ के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन :-

(क) ग्राम :-	लबरावदा
(ख) तहसील :-	धार
(ग) जिला :-	धार
(घ) लगभग क्षेत्रफल :-	०.०४२ हेक्टर

खसरा कमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्टर मे	खसरा कमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्टर मे
१६०/३/२	०.०२१	१६०/३/१	०.०२१
		योग:-	०.०४२

२. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- लबरावदा-गरडावद-बिलोदा-तीसगांव-खेरोद मार्ग के पुर्ननिर्माण/उन्नयन कार्य हेतु।

३. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग, धार के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(श्रीकान्त बनोठ)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
म.प्र. शासन राजस्व विभाग, जिला धार (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, म.प्र.शासन राजस्व विभाग,
जिला-धार (म.प्र.)

क्रमांक/१६०४ /भू-अर्जन/2019

दिनांक 26/8/19

// उद्घोषणा //

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

// अनुसूची //

भूमि का वर्णन :-


- | | |
|----------------------|----------------|
| (क) ग्राम - | बिलोदा |
| (ख) तहसील - | धार |
| (ग) जिला - | धार |
| (घ) लगभग क्षेत्रफल - | 2.282 हैक्टेयर |

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हैक्टेयर में	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हैक्टेयर में	खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हैक्टेयर में
437/1/1	0.052	48/3	0.114	87/2	0.028
52/1	0.028	37	0.044	113	0.048
53	0.370	23/2	0.088	104/1	0.020
52/2/2	0.040	36	0.035	104/2	0.030
50/2	0.060	71/1	0.040	110/1/1	0.035
50/1	0.035	71/2	0.060	163	0.198
48/2/1/1	0.152	72	0.114	164	0.092
48/2/3	0.038	73	0.114	156/1	0.032
48/2/2	0.190	86	0.126	156/2	0.008
48/2/1/2	0.028	87/1	0.028	110/1/2	0.035
योग					2.282

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- लवरावदा-गरडावद-बिलोदा-तीसगांव-खेरोद मार्ग के पुर्ननिर्माण/उन्नयन कार्य हेतु।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग, धार के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार


(श्रीकांत बनोट)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

म.प्र.शासन राजस्व विभाग, जिला-धार
(म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग
जिला धार (म.प्र.)

क्रमांक/2606 /भू-अर्जन/2019

धार दिनांक 26/8/19

“ उद्घोषणा ”

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।


:: अनुसूची ::
भूमि का वर्णन :-

- (क) ग्राम :- तीसगांव
(ख) तहसील :- धार
(ग) जिला :- धार
(घ) लगभग क्षेत्रफल :- 0.060 हेक्टर

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्टर मे
324	0.060
योग:-	0.060

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :- लबरावदा-गरडावद-बिलोदा-तीसगांव-खेरोद मार्ग के पुनर्निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु।
3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग, धार के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार


(श्रीकान्त बनोट)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
म.प्र. शासन राजस्व विभाग, जिला धार (म.प्र.)

✓

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव म.प्र. शासन राजस्व विभाग
जिला धार (म.प्र.)

क्रमांक / 8604 / भू-अर्जन / 2019

धार दिनांक 26/8/19

“ उद्घोषणा ”

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

:: अनुसूची ::

भूमि का वर्णन :-


(क) ग्राम :-	गुराड़िया
(ख) तहसील :-	धार
(ग) जिला :-	धार
(घ) लगभग क्षेत्रफल :-	0.150 हेक्टर

खसरा क्रमांक	अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्टर में
16	0.150
योग:-	0.150

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है :-
लबरावदा-गरडावद-बिलोदा-तीसगांव-खेरोद मार्ग के पुर्ननिर्माण/उन्नयन कार्य हेतु।

3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग, धार के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार



(श्रीकान्त बनोट)

कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,
म.प्र. शासन राजस्व विभाग, जिला धार (म.प्र.)

५